जागृति

वर्ष.60 अंक 11 मुंबई अक्तूबर 2016

अध्यक्ष महोदय की बालविजय से मुलाकात और मगन संग्रहालय का दौरा

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष.60 अंक 11 मुंबई अक्तूबर 2016

सम्पादक मंडल

अध्यक्ष
उषा सुरेश

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

अवर उप सम्पादक
अमृता सोम मुखर्जी

अवर हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार
संजय एस. सोमदे
कलाकार
चंद्रशेखर पुनवटकर,
दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित

टेलिफैक्स: 022-26719465

ई-मेल: jagritikvic@gmail.com वेबसाईट www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित

सदस्यता शुल्क

वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रू. 100/-
3 वर्ष के लिये सदस्यता शुल्क	:	रू. 250/-

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

इस अंक में...

समाचार सार .....3 से 24

अध्यक्ष महोदय की बालविजय जी से मुलाकात और.....
आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिज्जत के वार्षिक आम सभा.....
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हासिल की एक और.....
गुजरात सरकार द्वारा 40,000 चालकों और.....
आयोग द्वारा पं. दीन दयाल उपाध्याय का जन्म.....
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव द्वारा.....
प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए आयोग की एम.जी.....
आयोग द्वारा रितु बेरी द्वारा डिज़ाइन किये गए कम.....
पीएमईजीपी के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)....
खादी उत्पादों को सरकारी अस्पतालों में जल्द ही.....
गुजरात सरकार सहायित स्कूलों के लिए खादी यूनिफार्म...
श्री अरुण कुमार झा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को.....
महिला उद्यमियों ने सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं.....
24 देशों के एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल की आयोग के.....
खादी और ग्रामोद्योग आयोग में हिंदी पखवाडा एवं हिंदी...
खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 635वीं बैठक के मुख्यांश.....

छायाचित्र पृष्ठ 24

आयोग मुख्यालय में श्री सत्यनारायण महापूजा का आयोजन

मीडिया कवरेज 25

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां

अध्यक्ष महोदय की बाल विजय से मुलाकात और मगन संग्रहालय का दौरा

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में नागपुर और वर्धा का दो दिवसीय दौरा किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष महोदय ने महात्मा गाँधी ग्रामीण औद्योगिक संस्थान, वर्धा का भी दौरा किया।

यह संस्थान खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र का विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र है तथा ग्रामीण औद्योगीकरण के क्षेत्र में अन्य संस्थानो के साथ सुद्रढ़ लिंकेजेस स्थापित करने और इंटरफेस विकसित करने का कार्य करता है। निरीक्षण के दौरान महात्मा गाँधी ग्रामीण औद्योगिक संस्थान के निदेशक श्री पी.बी. काले ने श्री विनय कुमार सक्सेना को ग्रामीण औद्योगीकरण

के सभी सामान्य क्षेत्रों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की | श्री सक्सेना ने संस्थान के निदेशक के साथ ग्रामीण प्रौद्योगिकी के अन्य संभावित मार्गों के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श किया|

अध्यक्ष महोदय ने मगन संग्रहालय समिति, मगनवाडी, वर्धा और अन्य अनुभागों जैसे रंगाई, मुद्रण तथा वस्त्रों में प्राकृतिक रंगों से रंगाई इत्यादि का दौरा किया, वे संग्रहालय के रखरखाव से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने संस्थान की अध्यक्ष डॉ. विभा गुप्ता की इसके लिए सराहना की|

उन्होंने ग्राम सेवा मंडल गोपुरी में चल रहे गतिविधियों का भी निरिक्षण किया|

उन्होंने बापू कुटी, का भी दौरा किया, वहां पर आश्रम के कार्यकर्ताओं ने आश्रम के गतिविधियों तथा वहां की एतिहासिक भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान की|

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने पवनार आश्रम में प्रसिद्ध गांधीवादी और श्री विनोबा भावेजी के सचिव श्री बालविजयजी से भी मिले और

(शेष पृष्ठ 8 पर....)

आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिज्जत के वार्षिक आम सभा की अध्यक्षता

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 22 सितंबर, 2016 को षणमुखानन्द सभागृह, मुंबई में आयोजित श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की 51 वीं वार्षिक आम सभा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर आयोग की वित्तीय सलाहकार/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुश्री उषा सुरेश और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री वाई.के. बारामतिकर भी उपस्थित थे।

अपने अध्यक्षीय भाषण में अध्यक्ष महोदय ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेना उनके लिए संतोष की बात है। उन्होंने बताया की लिज्जत समूह का विकास महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाता है। लिज्जत सात महिलाओं द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से प्रारंभ किया गया था जो कि आज 45,000 महिलाओं के साम्राज्य के एक बड़े समूह में बदल गया है। आज, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को लिज्जत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि लिज्जत द्वारा कोई भी वांछित सहायता मांगे जाने पर आयोग मदद के लिए सदा तैयार है।

इस उपलक्ष्य पर सुश्री उषा सुरेश ने कहा कि, महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस समूह के उत्सव में शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात है तथा लिज्जत को सदा ही आर्थिक विकास और एकता के लिए जाना जाता है। इसके पूर्व, लिज्जत पापड़ की अध्यक्षा, श्रीमती स्वाति पराडकर ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया तथा संगठन के इतिहास और विकास के बारे में बताया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हासिल की एक और सफलता....

डाक विभाग देश के उत्तरी राज्य, उत्तराखंड में खादी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। डाक विभाग, उत्तराखंड क्षेत्र, देहरादून ने पत्र पेटियों की आपूर्ति के लिए एक आदेश दिया है। यह पहली बार है की खादी और ग्रामोद्योग आयोग को पोस्ट ऑफिसों के लिए पत्र पेटियों की आपूर्ति का आदेश मिला है। 359 पोस्ट बॉक्सो के लिए 1667 रु. प्रति बॉक्स की लागत से कुल राशि एक महीने के समय में खादी और ग्रामोद्योग

आयोग को आपूर्ति कर दी जाएगी।

इसके अलावा डाक विभाग ने 225 संदूको और 220 मेज और कुर्सियों की आपूर्ति का आदेश भी दिया है।

इस घोषणा को करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी. के. सक्सेना ने कहा कि यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश है। इससे रोजगार के 30,280 अतिरिक्त काम करने के घंटे का सृजन होगा जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में खादी कारीगरों के लिए अतिरिक्त आय का भी सृजन होगा। इस आदेश से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

मोदी द्वारा प्रारंभ महत्वपूर्ण अभियान "मेक इन इन्डिया" को भी बढ़ावा मिलेगा।

इससे पूर्व, फरवरी 2016 में, डाक विभाग उत्तराखंड ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग को खादी चमड़े के जूतों, बैंड, ऊनी मोजो की आपूर्ति के साथ ही पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जर्सी, कमीज़ आदि बनाने हेतु शर्टिंग कोटिंग, खादी कपास और ऊनी वस्त्र की आपूर्ति का आदेश दिया था। श्री सक्सेना ने कहा की

उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां डाक विभाग के कर्मचारी खादी वर्दी पहनेंगे।

श्री सक्सेना ने बताया कि मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखंड, श्री उदय कृष्ण, ने इससे पूर्व, आयोग को राज्य में पोस्ट ऑफिसो के लिए संदूकों की आपूर्ति का आदेश दिया था। 17 किलो वजन वाले प्रत्येक संदूक में डबल लॉक सिस्टम है और इस पर पाउडर कोटिंग की गयी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सफलतापूर्वक शर्टिंग-कोटिंग के लिए 5000 मीटर खादी कपास और ऊनी वस्त्र तथा संदूको के आदेश को पूरा किया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की इकाइयां पहले स्टील और लकड़ी के फर्नीचर की आपूर्ति करते थे। आदेशों की अनुपलब्धता के कारण कई इकाइयां बंद हो

गयी है और कुछ जीवित रहने का संघर्ष कर रही है। इस प्रकार के आदेशो से ग्रामीण उद्योग को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

गुजरात सरकार द्वारा 40,000 चालकों और परिचालकों के लिए खादी वर्दी की शुरुआत

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय, अहमदाबाद के राज्य निदेशक श्री संजय हेडाउ ने खादी की संभावनाओ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुजरात सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 40,000 चालकों और परिचालकों के लिए खादी वर्दी की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने यह बात दिनांक 22-9-2016 को डी.एन. पॉलिटेक्निक एज्यूकेशन ट्रस्ट, अहमदाबाद के दीक्षांत समारोह और निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं के लिए परिधान और कला प्रदर्शनी में कही। यह कार्यक्रम हरदासबापू पटेल समाज कल्याण एवं केलवणी ट्रस्ट अहमदाबाद द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर गुजरात सरकार के परिवहन मंत्री श्री वल्लभभाई काकडिया मुख्य अतिथि के रुप में

उपस्थित थे।

श्री संजय हेडाउ ने अपने संबोधन में आयोग की योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में बताया तथा इस अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र एवं किट वितरित किये गये।

आयोग द्वारा पं. दीन दयाल उपाध्याय का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अप्रैल से अगस्त, 2016 तक पंडित दीन दयाल धाम, फराह,जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) में पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया|

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पंडित दीन दयाल धाम, फराह को एक पथिक कौशल विकास केन्द्र के रूप में मान्यता दी एवं दक्षता विकास प्रशिक्षण का संचालन करने की अनुमति प्रदान की | धाम में अब दर्जी कार्य, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाईनिगं, रेजिन और प्लास्टर ऑफ़ पैरिस से प्रतिमा का निर्माण करने, मोबाईल मरम्मत करने, फ्रिज मरम्मत करने, एयर-कंडीशन का मरम्मत करने, सोलर पैनल स्थापित करने के लिए तकनीशियन, खाद्य तेल प्रशोधन, चरखा और करघा इत्यादि में दक्षता विकास प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है | इस अवधि के दौरान 210 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया इसमें से 27 व्यक्तियों ने अपने स्वयं का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है | आयोग ने कच्ची सामग्रियों में दक्षता विकास प्रशिक्षण देने और अन्य सहयोगी सेवा प्रदान करने के लिए 2.60 लाख रु. राशि की स्वीकृति प्रदान की है | खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों द्वारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है | आयोग ने इस केंद्र को कताई और बुनाई में प्रशिक्षण देने के लिए 11 सिलाई मशीन, 1 सोलर चरखा, 15 नया माडल चरखा एंव एक करघा प्रदान किया | सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम को 'खादी इंडिया' बिक्री केंद्र, नई दिल्ली के साथ जोड़ा गया है जिससे बिक्री केंद्र को वस्त्र इत्यादि प्रदान किये जा सके क्योंकि भवन एक विपणन मंच है|

आयोग ने पंडित दीन दयाल धाम, फराह को वर्कशेड योजना के अंतर्गत कारीगरों के लिए 26 वर्कशेड-सह-आवास की भी स्वीकृति प्रदान की है | खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने धाम में ग्राम 'नगला चंद्रभान' का सर्वेक्षण भी संचालित किया जिससे ग्राम के प्रत्येक घर को खादी और ग्रामोद्योगों की गतिविधियों से जोड़ा जा सके और यह गाँव 'मॉडल गाँव' के नाम से जाना जा सके|

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव द्वारा खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित मुद्दों की समीक्षा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री के. के. जालान ने 5 सितम्बर 2016 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग से सम्बंधित मुद्दों की समीक्षा की। सचिव ने बैठक के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत मार्जिन मनी तत्काल जारी करने, खादी उद्योगों द्वारा शामिल किये गए उत्पाद जिन्होंने स्वयं को एम्.आई.एस मापदंड में नामांकित किया है उन पर चर्चा करने, विगत तीन वर्षों (2013 तो 2016) में अनुमोदित लंबित दावों को वर्ष–वार तैयार करने, खादी संस्थाओं को ई–प्रपत्र में शामिल करने, खादी संस्थाओं के लिए एम.डी.ए. स्वीकृत करने इत्यादी मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

इस बैठक के दौरान श्री के. के. जालन ने अन्यों विषयों जैसे केंद्रीय पूनी संयत्रों से पूनी प्राप्त करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया। श्री जालान ने स्फूर्ति क्लस्टरों के कार्यान्वयन तथा निर्धारित समय में इसकी गतिविधियों को पूरा करने पर विचार–विमर्श किया| उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग की फ्रेंचाइस योजना के बारे में बोलते हुए फ्रेंचाइस मॉडल एग्रीमेंट की व्यापक रूपरेखा को अंतिम रूप देने पर भी सुझाव दिया।

बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र की मरम्मत करने के विषय पर सचिव ने पी.ऍफ़.एम्.एस. पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया और कहा कि यह अनिवार्य है|

सचिव ने अन्य विषयों जैसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के एमआईएस, मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, आयोग के विज्ञानं और प्रौद्योगिकी प्रस्ताव, वर्कशेड और अनुदान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्य मुद्दों, आयोग और एम्.जी.आई.आर.आई. के राज्य निदेशको के कार्यों के मूल्यांकन पर विस्तृत चर्चा की|

यह बैठक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई| इस बैठक में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वित्तीय सलाहकार /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुश्री उषा सुरेश, एम्.आई.जी.आर.ई. के निदेशक डॉ. पी.बी.काले, ए.आर.आई. के उप सचिव, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस.के. सिन्हा, और सू.ल.म.उ. मंत्रालय के अवर सचिव श्री अनिल कुमार इत्यादि उपस्थित थे|

(पृष्ठ 3 से आगे....)

अध्यक्ष महोदय की बालविजय जी से...और मगन....

उनके साथ खादी क्षेत्र से सम्बंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया|

अंत में अध्यक्ष महोदय ने नागपुर के समीप सेलू ग्राम में स्थित मगन संग्रहालय का भी निरिक्षण किया| यहाँ पर उन्होंने खिलौने बनाने का जीवंत प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा सोलर चरखा उत्पादन इकाई का भी निरिक्षण किया|

तत्पश्चात आयोग के अध्यक्ष महोदय ने प्राइड

होटल, नागपुर में आयोजित प्रेस सम्मलेन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों तथा हाल ही में आयोग द्वारा किये गए सफल प्रयासों एंव भावी योजनाओ के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी|

प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए आयोग की एम.जी.आई.आर.आई. के साथ बैठक

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की वित्त सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री उषा सुरेश की अध्यक्षता में केंद्रीय कार्यालय में 27 सितम्बर 2016 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की प्रथम बैठक संपन्न हुई इस बैठक में डॉ पी.के.काले.,निदेशक,एम्.जी.आई.आर.आई.,वर्धा, आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,श्री के.एस.राव (प्रचार, विपणन), श्री एस.के. सिन्हा (खादी), और श्री वाई.के. बारामतिकर (ग्रामोद्योग) और आयोग के कार्यक्रम अधिकारी तथा एम.जी.आई.आर.आई. के अधिकारी शामिल थे।

इस अवसर पर सुश्री उषा सुरेश ने कहा कि अनुसंधान और विकास प्रस्ताव पर विचार कुछ प्राथमिकता मापदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए इनमें कारीगरों के कठिन परिश्रम को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन की गुणवता में सुधार, खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र में उपयोग में लाये जाने वाले मौजूदा मशीनों, उपकरणों का आधुनिकीकरण करने, इसमें सुधार करने और उन्नत करने के प्रयास प्रमुख है। सुश्री उषा सुरेश ने आगे बताया कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत संभावित उद्यमियों के लिए उद्यम का सृजन करने हेतु परियोजना की उपयुक्तता तथा व्यवहार्य विकल्प को उपयोग में लाने तथा स्थानीय रूप में उपलब्ध कच्ची सामग्रियों को उपयोग में लाकर परियोजना को उपयोगी बनाने सम्बंधित मानकों के अधार पर भी अनुसंधान एवं विकास का प्रस्ताव होना चाहिये|

चूँकि एम.जी.आई.आर.आई. इन प्रौद्योगिकियों को प्रथम बार विकसित कर रहा है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि यह एक वर्ष की अवधि के साथ परियोजना का प्रोटोटाइप विकास के साथ शुरू किया जा सकता है एवं सफलता का मूल्यांकन करने के बाद हितधारकों को इसका प्रदर्शन किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि तुलना के लिए लागत प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए मौजूदा मशीनों के बारे विभिन्न विवरण एक्त्रित करने होंगे।

बैठक में विचार-विमर्श करने के पश्चात् श्री के.एस. राव ने अपने मत व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना को जरुरत तथा प्राथमिकता के अनुसार, लाभार्थी के अनुसार परियोजना के आकार, लाभार्थियों के उद्यमिता विकास की संभावनाओं एंव ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नतम लागत का होना

चाहिए. उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि लक्षित समूह तक पहुचने के लिए प्रस्तावित प्रौद्योगिकी के लाभ को सुनिश्चित करने हेतु एम्.जी.आई.आर.आई., प्रत्येक प्रोजेक्ट जैसे खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं साथ में संभावित लाभग्राहियों और स्टेकहोल्डरों की सूची को पहचानित करेगा|

बैठक में उपस्थितो ने यह भी सुझाव दिया कि विकास हेतु प्रस्तावित उत्पाद/प्रौद्योगिकी मार्केट में स्वीकार्य किया जाना चाहिए और संबंधित मानकों, संबंधित क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ अपेक्षित संयोजन, आईआईटी जैसे संस्थानों, सी.एस.आई.आर., प्रयोगशालाओं, निफ्ट, व्यावसायिक स्वास्थ्य, भारतीय मानक ब्यूरो के राष्ट्रीय संस्थान, आई.एस.ओ. प्रमाणित एजेंसियों, फैशन संस्थानों आदि के अनुपालन में प्रोद्योगिकी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करने की मंजूरी एम्.जी.आई.आर.आई. को देने की योजना बनायीं जाएगी और इस कार्य को करने के लिए और सभी प्रौद्योगिकी अर्थात कम्पूटर से बनायी गयी वस्तुएं, वस्त्र, टेराकोटा इत्यादि के लिए उचित मशीनों को अधिक से अधिक से उपयोग में लाने के लिए खादी/ ग्रामोद्योगी संस्थाओं से प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के माध्यम से विस्तार किया जा सकता है|

एम्.जी.आई.आर.आई. द्वारा सभी प्रौद्योगिकियां विकसित की गई है तथा खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र के लाभ हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग की निधियों से प्रचार प्रसार करने के लिए प्रस्ताव को सहमति देने की जरुरत है एंव खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रौद्योगिकी के सम्पूर्ण विवरण को घोषित करने की जरुरत है|

समिति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के पश्चात् सुझाव दिया कि हेंक (गुण्डी) के स्वरूप में खादी वस्त्र में एकरूप रंगाई करने तथा डिजाइन करने के लिए उपयुक्त मशीन की जरुरत है, कंप्यूटर की सहायता से बुने और डिज़ाइन किये गए वस्त्र प्रदान करना तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित बुने वस्त्रों और परिधानों एंव पश्चिम क्षेत्र में निर्मित परिधानों को आनलाइन लाइन समर्थन प्रदान करना है तथा पोली वस्त्र एंव काटन खादी के पूर्व कताई

और कताई क्षेत्र से सम्बंधित गुणवता आश्वासन मानदण्डो की समीक्षा तथा संशोंधन करना है|

ग्रामोद्योगों के अंतर्गत समिति ने मसलिन और रेशमी वस्त्रों की प्राकृतिक रंगाई करने का सुझाव दिया तथा साथ ही राजगीर तथा इसी तरह के खाद्य उत्पाद जिनका वर्तमान में ग्रामीण खाद्य उद्योगों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है इस प्रकार के अनाजो को फूलाने के लिए उचित मशीन को उपयोग में लाया जाना चाहिए| खाद्य उद्योग के लिए सोलर और विद्युत् आधारित थर्मल फोर्स्ड एयर ड्राईंग को उपयोग में लाने का सुझाव दिया तथा खादी और वस्त्र उद्योग में करघा के लिए ऑनलाइन साइजिंग और वार्पिंग करने, बाम्बू स्लाईवर और सुगंधित स्टिक बनाने की मशीन विकसित करने, स्वचालित वेंडिंग शू पोलिश मशीन, अल्प-अस्थाई शू पोलिश मशीन, घरेलु उद्देश्य हेतु अल्प-स्वचालित जेक्क, गोबर आधारित वाल पेंट/प्लास्टर तैयार करने हेतु अध्यन की संभावना , शहद और गाय के मूत्र से पोली हर्बल उत्पादों का विकास करने, भारत के विभिन्न क्षेत्र में वेल्यु एडेड भारतीय हरबो-एथनिक खाद्यों का विकास करने, ग्रामीण उद्योगों के लिए एन्टीस्क्लेंट का विकास करने, खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र के उद्यमियों के ऑनलाइन बाजार में मौजूदगी बढ़ रही है और खादी संस्थानों के लिए डेटा बेस तैयार करने के लिए डिजिटल विपणन उपकरण का लाभ का सुझाव दिया|

इस अवसर पर सहायक निदेशक/प्रभारी(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) ने गतिविधियों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप में मूल्यांकन करके समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने

(शेष पृष्ठ 18 पर....)

आयोग द्वारा रितु बेरी के डिज़ाइन किये गए कम मूल्य वाले परिधान 'विचार वस्त्र' की शुरुआत

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हाल ही में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि "खादी केवल वस्त्र नहीं, एक विचार है," | इसी दृष्टीकोण को ध्यान में रखते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने "विचार वस्त्र"' जो कि सादा, पहनने में आसान, न्यूनतम मूल्य वाला एक संकल्पनात्मक वस्त्र है तथा यह मशहूर फैशन डिजाइनर सुश्री ऋतु बेरी द्वारा डिजाईन किया गया है, जिसका लोकार्पण 13 सितम्बर 2016 को नई दिल्ली में किया गया |

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी. के. सक्सेना ने कनॉट प्लेस, नई दिल्ली स्थित खादी इन्डिया बिक्री केंद्र में 'विचार वस्त्र' की शुरूआत करते हुए कहा कि "विचार वस्त्र" काफी बहुमुखी है और इसे पैंट, सलवार, स्कर्ट या जींस किसी के साथ भी पहना जा सकता है।

यह वस्त्र काफी किफायती है और इनकी कीमत 1299/- रुपये से शुरू होती है एवं यह अपने में परिपूर्ण है तथा यह महात्मा गांधी को भावपूर्ण श्रधांजलि अर्पित करते है, आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा की प्रधानमंत्री प्रत्येक भारतीय को खादी खरीदने तथा इसे विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अपील करते है और हमें भी इसके प्रयास करने होंगे।

1,472 खादी वस्त्रों की बिक्री आम जनता में खादी के प्रति बड़ रहे लगाव को बताती है। इस बार खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा एसएमएस से ग्राहकों को आमंत्रित करने के नवीन प्रयास पर ग्राहकों ने काफी अच्छी प्रतिक्रिया जताई है| भारतीयता की भावना को बनाये रखते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष द्वारा खादी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कई हस्तियों और नेताओं ने 'विचार वस्त्र' का समर्थन किया और अब यह आम जनता के लिए उपलब्ध है |

जिन लोगों ने विचार वस्त्र का समर्थन किया उसमें क्रिकेटर श्री वीरेन्द्र सहवाग, नेता सुश्री मीनाक्षी लेखी, श्री शशि थरूर, श्री पवन वर्मा, श्री जय पांडा, पत्रकार श्री रजत शर्मा, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अमिताभ कांत, डॉ नरेश त्रेहन और मशहूर मॉडल नयनिका चटर्जी आदि नाम शामिल हैं |

विचार वस्त्र बहुत जल्द ही पूरे देश में उपलब्ध हो जाएगा।

पीएमईजीपी के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, बंगलुरु ने 30.08.2016 को होटल गोल्ड फिंच, बंगलुरु में पीएमईजीपी के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया, इस कार्यशाला में सभी स्टेक होल्डर्स, मुख्य जिला प्रबंधक, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला अधिकारियों, तथा सभी जिलों के जिला उद्योग केन्द्रों के संयुक्त निदेशक उपस्थित थे ।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक श्री डी. सुभाश चन्द्र बोस, ने एस.एल.बी.सी., सिंडिकेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों, एल.डी.एम. के जिला स्तरीय अधिकारियो, कर्नाटक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला अधिकारियो तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्य अधिकारियों का स्वागत किया |

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (दक्षिण क्षेत्र) श्री गुरुप्रसन्ना ने इस अवसर पर भारत सरकार के सू.ल.म.उ. मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए ऑनलाईन डी.बी.टी. व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्रदान की |

(शेष पृष्ठ 18 पर....)

खादी उत्पादों को सरकारी अस्पतालों में जल्द ही उपयोग में लाया जाएगा

खादी उत्पादों को देश में स्थित सरकारी अस्पतालों में जल्द ही उपयोग में लाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खादी को किस प्रकार अस्पतालों में उपयोग में लाया जाएगा इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है ।

मंत्रालय ने पिछले सप्ताह खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री वी.के. सक्सेना और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा के बीच बैठक के पश्चात् पैनल का गठन किया है | बैठक के दौरान श्री वी. के. सक्सेना ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के उपायों के लिए एक अनुरोध किया है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के विशेष महानिदेशक, श्री बी.डी. अथनी इस समिति के अध्यक्ष हैं । अन्य सदस्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक, सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक और राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अन्य सम्बंधित अस्पतालों के निदेशक शामिल हैं।

समिति निर्धारित समय पर अपनी सिफारिशें और सुझाव प्रस्तुत करेंगी । पैनल की स्थापना के आदेश 22 सितंबर को जारी किये गए थे | मंत्री महोदय एंव खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष की बैठक मात्र दो दिन पूर्व 20 सितम्बर को संपन्न हुई है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश और विदेश में खादी उत्पादों को उपयोग में लाने तथा इसे बढ़ावा देने हेतु विभिन्न मापदंड अपनाए जबकि श्री सक्सेना ने अक्टूबर 2015 में आयोग का प्रभार संभाला है|

अन्य मामलों में, आयोग ने दिव्तीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आक्रमक तरीके से अपने उत्पादों की मार्केटिंग करने का प्रयास किया, तथा सम्पूर्ण विश्व में 21 जून को योग दिवस पुरे उत्साह के साथ मनाया गया| इसके अंतर्गत विशेष योगकिट अर्थात प्रत्येक किट जिसमें एक खादी चटाई, एक नैपकिन, एक तिरंगा माला एवं शर्ट और पयजामा शामिल है की बिक्री बहुत जोर शोर से हुई|

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 12 जून से 21 जून तक इन कीटों की बिक्री की. इस अवधि के दौरान कुल 2,906 कीटों की बिक्री हुई जिसमें से 1085 महिला किट तथा 1821 पुरुषों के कीटों की बिक्री की गई | इसके अलावा, इस अवधि के दौरान खरीदारों ने व्यक्तिगत रूप में खादी मैट, नैपकिन और 'माला' इत्यादि की वृहद मात्रा में खरीदारी की|

सिर्फ 10 दिनों की अवधि में, संगठन ने 69.6 लाख रुपये का भारी राजस्व अर्जित किया। सभी 24 दर्जिओं ने सहकर्मियों के साथ 30 दिन की अवधि में अंतहीन मांग को पूरा करने के लिए दिन रात काम किया। कई सार्वजनिक और निजी संगठन से थोक आदेश प्राप्त हुए। आयुष की केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, जो देश में योग दिवस आयोजित करने के लिए नोडल एजेंसी है, उन्होंने स्वयं के लिए 300 किटो का ऑर्डर दिया।

दर्जियों ने 12.95 लाख रुपये की राशि अर्जित की। दर्जियो के टीम में आठ मुसलमान दर्जी शामिल थे इन्होने रमजान के मौके पर चौबीस घंटे काम किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा विशेष रूप से तैयार डिजाइन के अधार पर आयुष मंत्रालय की ओर से किट तैयार किए गए थे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने आदेशों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सात अधिकारियों की एक टीम का गठन किया था। परियोजना की रिकॉर्ड सफलता के बाद, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने योग किट की बिक्री को जारी रखने का फैसला किया । यह योग किट सभी खादी बिक्री दुकानों में सम्पूर्ण वर्ष में उपलब्ध हैं।

गुजरात सरकार सहायित स्कूलों के लिए खादी यूनिफार्म

गुजरात सरकार द्वारा गुजरात राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, अहमदाबाद के माध्यम से सुरेन्द्रनगर जिले के चोटिला तहसिल की सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दो जोडी पोलीवस्त्र स्कूल ड्रेस देनें का एक कार्यक्रम दिनांक 19 सितंबर 2016 को आयोजित किया गया।

इस अवसर पर गुजरात सरकार के कुटिर उद्योग मंत्री श्री जयेशभाई रादडिया, राज्य शिक्षा मंत्री श्री नानुभाई वाणानी, संसदिय सचिव श्री वासणभाई आहिर, स्थानिय विधयक, श्री शामजीभाई चौहाण, जिला कलेक्टर, राज्य निदेशक श्री संजय हेडाऊ, खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्थानिय लोग, चोटिला तालुका की सरकारी स्कुल के बच्चे एवं शिक्षा विभाग से जुडे कई लोग उपस्थित थे।

इस अवसर पर गुजरात सरकार द्वारा चोटिला तालुका की सभी सरकारी स्कुलों के बच्चों को 2 जोडी पोलीवस्त्र स्कूल ड्रेस देने का निर्णय लिया गया था तथा कार्यक्रम में कुल 20417 बच्चों (10205 छात्र एवं 10266 छात्राओं) को यह पोलीवस्त्र ड्रेस वितरित किया गया। इस कार्य में खादी बोर्ड एवं आयोग से जुडी कुल 34 संस्थाओं द्वारा 248 लाख रु. का पोलीवस्त्र, कुल 184300 मीटर कपड़े की आपूर्ति की गई एवं स्कूल ड्रेस तैयार कराने हेतु 63.53 लाख रु. सिलाई का खर्च गुजरात सरकार द्वारा भुगतान किया गया।

श्री जयेशभाई रादडिया ने इस परियोजना को मार्गदर्शक परियोजना बताया, इससे ना केवल स्कुली बच्चों में खादी के प्रति लगाव बढेगा बल्कि खादी से जुडे लाखों कारीगरों को भी इसका फायदा मिलेगा। इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने गुजरात सरकार एवं खादी क्षेत्र की सराहना की. ■■

अरुण कुमार झा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आयोग ने दी विदाई

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अरुण कुमार झा का आयोग में उनके पद का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष पर आयोग के केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई के प्रार्थना हॉल में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना, आयोग की वित्तीय सलाहकार, सुश्री उषा सुरेश, आयोग के सदस्य (मध्य क्षेत्र), श्री जे.पी. तोमर, आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री के.एस. राव, श्री वाई.के. बारामतिकर, श्री एस.के. सिन्हा, श्री एस.एन. शुक्ला, आयोग के कार्यक्रम निदेशक और सभी अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि श्री झा ने एक कुशल कार्य साधक है और दिए गए कार्य को पूरा करने की क्षमता रखते है। आयोग में बहुत ऐसे कार्य हुए है जो उनकी पहल के बिना पूर्ण नहीं किया जा सकता था। लोगो के साथ संपर्क करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से हल किया। अध्यक्ष महोदय ने अपने शब्दों को विराम देते हुए श्री झा के मंगल भविष्य कि कामना की।

आयोग की वित्तीय सलाहकार, सुश्री उषा सुरेश ने श्री झा के काम के प्रति लगन और निष्ठा की सराहना की और कहा की उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है।

इस अवसर पर आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री के.एस. राव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा की श्री झा के पास अभिव्यक्ति और संचार की अद्वितीय कला थी और उन्होंने सोशल एवं डिजिटल मीडिया जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक जैसे संचार के माध्यमों को काफी प्रोत्साहित किया था जिससे सूचना, पारदर्शिता और

तेज संचार को काफी बल मिला।

अपने आखरी संबोधन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अरुण कुमार झा ने अपने विचार और अनुभव व्यक्त करते हुए कहा कि एक मनुष्य या पद कभी भी किसी संगठन से बड़ा और ऊपर नहीं हो सकता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग मात्र एक ऐसा संगठन है जो देश भर में गरीबों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करता है और वह अपने को भाग्यशाली और गर्वान्वित समझते है क्योंकि उन्हें इस गांधीवादी संगठन की सेवा का अवसर मिला है।

महिला उद्यमियों ने सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं को किया प्रस्तुत

खादी और ग्रामोद्योग मंडल, उड़ीसा ने पीएमईजीपी लाभार्थियों की मदद करने के लिए भुवनेश्वर में 29 अगस्त 2016 को महिला उद्यमियों की एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की अध्यक्षता पीएमईजीपी निदेशालय की निदेशक श्रीमती प्रज्ञा जोगलेकर द्वारा किया गया।

इस कार्यशाला में महिला उद्यमियों को उनके कार्य को सुचारू रूप से चलाने में आ रहे विभिन्न समस्याओं पर सारगर्भित विचार-विमर्श किया गया।

प्रतिभागियों ने विभिन्न समस्याओं जैसे बैंकिंग की विभिन्न समस्याओं जिसमे मार्जिन मनी के समायोजन में विलम्ब, बैंक ऋण आदि की अपर्याप्त मंजूरी से सम्बंधित मुद्दों को कार्यशाला में रखा | उन्होंने अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए एक विपणन मंच की आवश्यकता का मुद्दा भी सामने रखा| इस कार्यशाला में विकलांग महिला उद्यमियों सहित 160 महिला उद्यमियों ने भाग लिया|

24 देशों के एक विदेशी प्रतिनिधि मंडल ने की आयोग के पदाधिकारियों से मुलाकात

विदेशी प्रतिनिधिमंडल का मुख्यालय, मुंबई दौरा

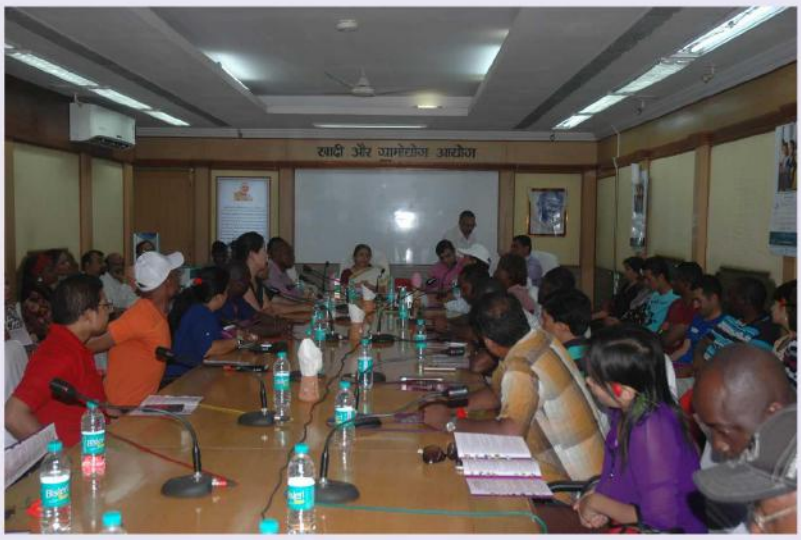

24 देशो के 53 सदस्यों ने जिसमे अफघानिस्तान, भूटान, डीआर कोन्गो, मिश्र, इथोपिया, लाइबेरिया, मालदिव्स, नेपाल, नाइजर, श्रीलंका, तजाकिस्तान, बोस्तवाना, जाम्बिया, केन्या, कम्बोडिया, तुवालु, घाना, मालावी, मोरिसियस, नामिबिया, सिरिया, तान्जानिया, झांम्बिया एवं झीम्बाब्वे आदि शामिल है ने राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय, मुंबई में 26 सितम्बर, 2016 का दौरा किया.

विदेशी प्रतिनिधिमंडल का राज्य कार्यालय, अहमदाबाद दौरा

इसी क्रम में विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने राज्य कार्यालय, अहमदाबाद का भी दौरा किया. इस अवसर पर कार्यक्रम निदेशक, श्री ऋषिराज सिंह ने आयोग के कार्यों कि सराहना की।

राज्य कार्यालय, अहमदाबाद ने इस अवसर पर कार्यालय परिसर में खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की एक छोटी प्रदर्शनी एवं बिक्री का भी आयोजन किया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग में
हिंदी पखवाडा एवं हिंदी दिवस का आयोजन

हिंदी दिवस के ऐतिहासिक अवसर को याद करते हुए हर वर्ष 14 सितम्बर को इसे पुरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. इस वर्ष भी आयोग के मुख्यालय और राज्य कार्यालयों में हिंदी दिवस का आयोजन पुरे उत्साह के साथ किया गया. खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुख्यालय, मुंबई में दिनांक 14.9.2016 को श्री मोहित जैन, मुख्य सतर्कता अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। इस समारोह में श्री के. एस राव,उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री वाई. के बारामतीकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री एस. के सिन्हा, राजभाषा अधिकारी/उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयोग के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी-गण उपस्थित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने दीप प्रज्वलित कर हिन्दी पखवाड़े का उदघाटन किया।

इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी से जुड़े विविध विषयों पर अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए तथा अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने की अपील की।

आयोग के राजभाषा अधिकारी/उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. के सिन्हा ने सभी को शुभ कामनाएं दी

तथा प्रतिभागियों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने और हिंदी में कार्य करने कि अपील की. आयोग के हिंदी अधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया.

इस अवसर पर आयोग के मुख्यालय में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. कुल 151 कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया. 29 सितम्बर को समापन समारोह आयोजित किया गया जिसमें कुल 40 पुरस्कारों का वितरण किया गया. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. के सिन्हा एवं श्री वाई. के. बारामतिकर और सहायक निदेशक-I, श्रीमती गीतांजलि ने सभी प्रभागियों को सम्मानित किया.

पुरस्कार वितरण समारोह की झलकियाँ

राज्य कार्यालय, अहमदाबाद में

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय, अहमदाबाद में 14 सितंबर 2016 से 28 सितंबर 2016 तक हिन्दी पखवाडा कार्यक्रम मनाया गया।

इस दौरान प्रत्येक वर्ष अनुसार विविध प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें संगीत संध्या, हास्य कवि संम्मेलन, हिन्दी टंकण, हिन्दी में प्रारूपण-टिप्पण, हिन्दी निबंध-लेखन आदि का आयोजन किया गया।

26 सितंबर 2016 को श्री सतिश शर्मा, सेवा निवृत्त हिन्दी कार्यकारी ने राजभाषा अधिनियम तथा नियमों पर जानकारी प्रदान की। कार्यालयीन टिप्पण तथा प्रारूपण-टिप्पण पर अधिक जोर देते हुए नियमित प्रयोग में आनेवाली नियमावली पर चर्चा की।

28 सितंबर 2016 को हिन्दी पखवाडा समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिसमें पखवाडे के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागीयों को पुरस्कार वितरित किये गये।

राज्य कार्यालय, बेंगलुरु में

राज्य कार्यालय, बेंगलुरु में दिनांक 14.09.2016 को 'हिंदी दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर राज्य कार्यालय, आंचलिक कार्यालय और बहु उद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (दक्षिण क्षेत्र) श्री जी. गुरुप्रसन्ना ने की।

सर्वप्रथम, राज्य निदेशक, श्री डी. सुभाश चंद्र बोस, ने सभी का अभिनंदन किया और हिंदी दिवस के मौके पर सभी को बधाई दिया।

उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी भाषा है, इसमें काम करके हमें गर्व महसूस होना चाहिए। उन्होंने सभी से कार्यालय कार्य का कुछ हिस्सा हिंदी में करने की अपील की और स्वयं भी हिंदी में काम करने का संकल्प लिया।

श्री विनोद कुमार भारती, कनिष्ठ अनुवादक ने माननीय गृह मंत्रीजी का 'हिंदी दिवस' संदेश पढ़कर सुनाया।

राज्य कार्यालय, जयपुर में

राज्य कार्यालय, जयपुर में दिनांक 14.09.2016 से 20.09.2016 को 'हिंदी सप्ताह' मनाया गया। राज्य कार्यालय के निदेशक, श्री बलधारी सिंह महात्मा गाँधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलित कर हिन्दी सप्ताह का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं हिन्दी टंकण, हिन्दी में प्रारूपण-टिप्पण, हिन्दी निबंध-लेखन आदि का आयोजन किया गया था।

समापन समारोह में राज्य निदेशक ने विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया. कार्यक्रम के अंत में आशुलिपिक, श्री राहुल कँवल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग में
हिंदी पखवाडा एवं हिंदी दिवस का आयोजन

सी.वी.पी.आई. खानापुर में

सी.वी.पी.आई. खानापुर ने दिनांक 14.9.2016 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खानापुर भारतीय स्टेट बैंक की प्रबन्धक श्रीमती देशवाल मुख्य अतिथि के रूप उपस्थित थी।

उन्होंने इस बात पर दबाव डालते हुए कहा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में उन्नत करने की जरुरत है। उन्होंने बैंकिग सेक्टर में हिंदी कार्यान्वयन सम्बंधित अपने अनुभवों की जानकारी देते हुए कहा कि दृढ़ निश्चय और समपर्ण भाव से हिंदी में कार्य करने हेतु व्यक्तिगत रूप में प्रयास करने चाहिए। अन्य अतिथि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सेवानिवृत निदेशक एल.पी.पुजार ने हिंदी के कार्यान्यन से सम्बंधित नियमों विनियमों के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी दी।

प्रिंसिपल श्री रामरतन प्रजापति ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री सचिदानंद काशीकर ने सभी का स्वागत किया तथा राजभाषा कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अन्त में श्री शेषो देश पाण्डे ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

(पृष्ठ 10 से आगे....)

प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए आयोग की एम.जी.आई.आर.आई. के साथ .....

जोर देकर कहा कि अब तक 13 तकनीकी इंटरफेसेस सहित एम्.जी.आर.आई. वर्धा और कुल 189 खादी ग्रामोद्योगी संस्थाओं और आयोग से सम्बंधित प्रतिष्ठानों के माध्यम से लगभग 130 प्रौद्योगिकी विकसित की गयी है तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आईएसओ 9001-2008 प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(पृष्ठ 11 से आगे....)

पीएमईजीपी के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पर राज्य स्तरीय.....

श्री अनिल उप्पिन, अतिरिक्त निदेशक (विश्व), जिला उदयोग केंद्र, कर्नाटक सरकार ने डी.बी.टी. की नई ऑनलाइन व्यस्था के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी तथा नई दिल्ली में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों के बारे में भी बताया।

श्री विनीत, ए.जी.एम., कॉर्पोरेशन बैंक ने लंबित मार्जिन मनी का संवितरण करने के लिए कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा विकसित पोर्टल के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की तथा सभी कर्यावयी अभिकरणों से नए व्यवस्था के अंतर्गत लंबित दावों को अपलोड करने के लिए अनुरोध किया।

श्री सुरेश, ए.जी.एम., एस.एल.बी.सी., सिंडिकेट बैंक ने सभी एल.डी.एम. से अनुरोध किया कि नए डी.बी.टी. व्यस्था के बारे में जानकारी हासिल करें तथा अपने राज्य में पी.एम.ई.जी.पी. योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु मदद करें।

श्री गणेशन, उप महा प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने डी.बी.टी. व्यवस्था को सफलतापूर्वक ऑनलाइन कार्यान्वित करने हेतु जिलास्तर पर समन्वित रूप में कार्य करने के लिए सभी कार्यान्वयी अभिकरणों से अनुरोध किया।

ततपश्चात, श्री बी.एस. मल्गात्ति, सहायक निदेशक-II, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अंत में धन्यवाद ज्ञापन दिया।

आयोग की 637वीं बैठक के मुख्यांश

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 637वीं बैठक दिनांक 30 सितंबर, 2016 को नई दिल्ली में आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आयोग के श्री जय प्रकाश तोमर, आंचलिक सदस्य (मध्य अंचल); श्री जी. चन्द्रमौली, आंचलिक सदस्य (दक्षिण अंचल); डॉ. संगीता कुमारी, आंचलिक सदस्य (पूर्वी अंचल); श्री नारायण चंद्र बोरकाटकी, आंचलिक सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल); श्री अशोक भगत, विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान व विकास); श्री धरणीधर त्रिपाठी, उप-महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक; श्री बी.एच.अनिल कुमार, संयुक्त सचिव (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय); श्रीमती ऊषा सुरेश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के.एस.राव, श्री वाई.के.बारामतीकर, श्री एस.के.सिन्हा, श्री सत्य नारायण ने भाग लिया।

1) उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ) ने पूरे आयोग की ओर से श्रीमती ऊषा सुरेश, वित्तीय सलाहकार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण करने के लिए बधाई दी और उनका स्वागत किया।

2) आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की गई और पारदर्शिता प्राप्त करने, तुरंत कार्रवाई करने, कागजी कार्रवाई को कम करने, दक्षता बढ़ाने तथा विभिन्न स्तरों पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के स्तर को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पीएमईजीपी पोर्टल को नामित करने संबंधी सिफारिश को अनुमोदन प्रदान किया।

3) आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय के उन सभी कर्मचारियों को "प्रशंसा पत्र" जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया, जिन्होंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के विभिन्न ऑनलाइन अनुप्रयोगों को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिस कार्य को केवल पिछले 01 वर्ष के दौरान पूरा किया है।

4) आयोग ने विपणन निदेशालय के उन कर्मचारियों को भी "प्रशंसा पत्र" जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया, जिनके अनुकरणीय योगदान के कारण कॉरपोरेट्स थोक विपणन, थोक रिटेल लिंकड योजना, गिफ्ट कूपन, इंटर्नशिप योजनाएं, भवनों का आधुनिक नवीनीकरण, बारकोड मूल्य निर्धारण पद्धति जैसी नई पहल को शुरू किया जा सका है, जिस कारण केवल पिछले एक वर्ष के दौरान ग्राहक अनुकूल विपणन पद्धति के एक नए युग को लाया जा सका है।

5) आयोग ने संयुक्त सचिव के अवलोकन पर भी ध्यान दिय, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार योजना हो उसके ढांचे के अनुसार ही कार्यान्वित किया जाना चाहिए, जहां पर "प्रशस्ति पत्र" केवल उन्हें पहल के लिए दिया जाना चाहिए जो पिछले 1 वर्ष के दौरान शुरु की गई है।

6) आयोग ने संयुक्त सचिव के इस अवलोकन को भी नोट किया कि विभिन्न स्तरों पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक पुरस्कार प्रणाली भी तैयार की जानी चाहिए और ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए के लिए उक्त प्रक्रिया शीघ्र ही शुरु हो जाए और मूल्यांकन अवधि के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और योगदान के लिए उन्हें पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार समारोह प्रति वर्ष फरवरी माह में आयोजित किया जा सकता है।

7) आयोग ने खादी कच्चामाल निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और 3 माह के लिए खादी संस्थाओं को घटी दरों पर पूनी/रोविंग की आपूर्ति के लिए केंद्रीय

पूनी संयंत्र हाजीपुर को अग्रिम एमडीए उपलब्ध कराने हेतु प्रायोगिक (पायलट) योजना के कार्यान्वयन को नोट किया और तथा इस संबंध में आयोग के अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई कार्यवाही का भी अनुसमर्थन किया।

8) इसके अतिरिक्त, आयोग ने संयुक्त सचिव के अवलोकन को नोट किया कि दूसरे तीन माह के अवधि के लिए पायलट योजना के विस्तार के मामले में पूर्ण औचित्य के साथ नया प्रस्ताव विचार हेतु आयोग की आगामी बैठक के समक्ष रखा जाना चाहिए। 30% कच्चा माल सब्सिडी के बाद तैयार उत्पादों (खादी और सोलर) की अर्थतंत्र (इकोनॉमिक्स) की जानकारी भी विचार हेतु आयोग के समक्ष रखी जानी चाहिए।

9) सोलर चरखा संचालकों को आपूर्ति की जाने वाली रोविंग सब्सिडी देने के संबंध में उप- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (खादी) के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया कि क्योंकि प्रायोगिक प्रस्ताव खादी/पोलिवस्त्र अथवा सोलर चरखे को ध्यान में रखे बगैर केंद्रीय पूनी संयंत्रों को कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान करने से संबन्धित है, इसलिए योजनाओं को अलग करने अथवा ग्रामोद्योगी अनुदान के अधीन खर्च को अलग से दर्शाने की आवश्यकता नहीं होगी।

10) आयोग ने प्रशासन निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और उप-निदेशक के पद हेतु दिनांक 16.08.2016 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया और इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया।

11) आयोग ने अध्यक्ष महोदय के अवलोकन को भी नोट किया कि पदोन्नति के सभी मामलों को स्थानांतरण के साथ जोड़ा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पदोन्नत अधिकारियों को उनके वर्तमान तैनाती स्थल से स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

12) आयोग ने सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल) के अवलोकन को भी नोट किया कि उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों के स्थानांतरण करते समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकारियों की तैनाती की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाए।

13) आयोग ने संयुक्त सचिव के अवलोकन को भी नोट किया, जिन्होंने यह सुझाव दिया कि नई स्फूर्ति के प्रशासनिक कार्यों के अधीन निधियों की आवश्यकता हेतु एक कार्ययोजना भी तैयार की जाए।

14) आयोग ने खादी कच्चा माल निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की ओर निट्रा द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान विभागीय केंद्रीय पूनी सयन्त्रों के नवीनीकरण/आधुनिकीकरण के लिए केआरडीपी निधियों से 3156.16 लाख रूपये की राशि तक निधियों की स्वीकृति के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

15) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान भागीय केंद्रीय पूनी संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के परिणामों की जानकारी प्रस्ताव में दी जानी चाहिए। क्योंकि केंद्रीय पूनी संयंत्र एटा पूरी तरह से डीजल से चलाया जा रहा है और विद्युत आपूर्ति की लाइन बिछाने के लिए खर्च होने वाली तीन करोड़ रुपए की राशि को भी प्रस्ताव में शामिल किया जाना चाहिए। जिन मशीनों और उपकरणों को बदलने की आवश्यकता है उनका पर्याप्त लागत के आधार पर निपटान किया जाए। 25.74 लाख रुपए की लागत से केंद्रीय पूनी संयंत्र सीहोर में गोदाम के निर्माण के संबंध में, गोदाम के लिए पूर्व में ही तैयार किए गए सस्ते ढांचे को स्थापित किए जाने की आवश्यकता होगी। केंद्रीय पूनी संयंत्रों को लाभ के केंद्र बनाने के लिए पहले हमें यह सुनिश्चित करना है कि खादी सेक्टर की पूनी की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और ऐसा करने के बाद मशीनों का उपयोग पूनी से सूत बनाने के लिए किया जा सकता है और उसे

हैंडलूम बुनकरों को उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे काफी लाभ होगा। नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से केंद्रीय पूनी संयंत्रों की छतों और आसपास के क्षेत्रों में सौर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे, जिससे केंद्रीय पूनी सयंत्रों को लाभ होगा।

16) आयोग ने वैकुंठ भाई मेहता विकेंद्रीयकरण उद्योग अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार वस्तु सूची और खादी की मैपिंग पर मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट पर चर्चा की और आयोग की आगामी बैठक में मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट पर एक प्रस्तुतीकरण करने के निर्देश दिए।

17) आयोग ने निम्न अनुसार सुरक्षित रख रखाव और लेखाकरण आदि के साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग की जीपीएफ निधियों के विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन हेतु एसबीआई फंड मैनेजमेंट द्वारा उद्धरत शुल्क पर चर्चा की और उसे अनुमोदन प्रदान किया:-

1. निधि प्रबंधन शुल्क लागू कर सहित रु. 3.00 लाख की वार्षिक राशि की शर्त पर, प्रबंधन के अधीन औसत परिसंपत्तियों का रु. 4 बीपीएस।
2. सुरक्षा शुल्क रु. 1.00 लाख वार्षिक की एक समान दर।
3. निधि लेखाकरण शुल्क रु. 1.00 लाख वार्षिक की एक समान दर
4. सरकारी प्रतिभूतियाँ प्रति लेनदेन रु. 1500

18) आयोग ने प्रस्ताव पर चर्चा की और निम्नलिखित पर अवधारणा नोट को अनुमोदन प्रदान किया (१) खादी में डिजाइन लाने संबंधी मुद्दे और आवश्यकता (२) खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मानद सलाहकार सुश्री रितु बेरी के लिए प्रस्तावित पद्धतियां और भूमिका (फैशन डिजाइन) (३) खादी विचार वस्त्र की अवधारणा (४) खादी विचार वस्त्र के लिए सुझाई गई कार्यनीति और (5) सुश्री रितु बेरी, फैशन डिजाइन सलाहकार के साथ उनकी भूमिकाओं और कार्यों के संबंध में एक समझौता करना। आयोग ने 26 नवंबर 2016 को लंदन में खादी फैशन शो आयोजित करने हेतु सुश्री रितु बेरी के प्रस्ताव को भी नोट किया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने नोट किया कि सुश्री रितु बेरी खादी फैशन शो में होने वाले संपूर्ण खर्च को वहन करेंगी, लेकिन इसमें दिल्ली-लंदन सेक्टर के लिए चार वापसी हवाई जहाज टिकट (2 बिजनेस क्लास और 2 इकोनॉमी क्लास) तथा स्थानीय परिवहन सहित चार लोगों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था, यू.के. जाने के लिए वीजा प्रभार आदि की लागत शामिल नहीं होगी, जिसको खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रचार निधियों से वहन किया जाएगा।

19) आयोग ने संयुक्त सचिव के अवलोकन को भी नोट किया कि यद्यपि विदेश में खादी फैशन शो के का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग की अनुमोदित योजना की परिधि में नहीं आता है, लेकिन मामले की वरीयता को देखते हुए आयोग को विशेष मामले के रूप में विचार करने हेतु प्रस्ताव मंत्रालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।

आयोग ने संयुक्त सचिव के अवलोकन को नोट किया कि इस प्रकार के बड़े उपक्रमों से प्राप्त परिणामों के बारे में परियोजना प्रस्ताव में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

20) आयोग ने नई दिल्ली में खादी विचार वस्त्र की शुरुआत के लिए खादी ग्रामोद्योग भवन, दिल्ली द्वारा शुरू की गई पहल को नोट किया। इस मामले पर प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ फोटोग्राफ सहित अग्रणीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से खादी विचार वस्त्र को शुरू करने की प्रक्रिया के संबंध में संयुक्त सचिव ने प्रबंधक, खादी ग्रामोद्योग भवन, दिल्ली की भर्त्सना की और निर्देश दिया कि भविष्य में इस प्रकार की पहल को सार्वजनिक करने से पूर्व मामले को वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आयोग के सक्षम प्राधिकारियों की जानकारी में

लाना चाहिए।

21) आयोग ने पदोन्नति द्वारा ट्रेडिंग के पद को भरने में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित करने संबंधी मुद्दे पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को संबोधित अवर सचिव, भारत सरकार के दिनांक 30.09.2016 के पत्र पर चर्चा की और संयुक्त सचिव के अवलोकन पर सहमति प्रदान की कि पद को अनारक्षित करने के लिए पूर्ण औचित्य सहित एक विस्तृत प्रस्ताव इस मामले पर निर्णय लेने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सरकार को भेजा जाए।

22) आयोग ने आंचलिक समिति की सिफारिशों को नोट किया कि जब पोर्टल पर एमडीए दावों को अपलोड किया जाता है तो उसकी कनेक्टिविटी नियमित नहीं रहती है, इस प्रकार दावों को अपलोड करने में देरी होती है और एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर तैयार करने का सुझाव दिया गया जहां पर लंबित दावों को लोड किया जा सके और बाद में उन्हें अपलोड करने के लिए सुरक्षित किया जा सके।

23) आयोग ने संयुक्त सचिव के अवलोकन को नोट किया कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की है और सभी संबंधित को परिचालित किया है, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि क्योंकि किसी एक राज्य में केवल 8 से 10 ही बड़े बैंक होते हैं, इसलिए संबंधित बैंकों की कोर बैंकिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए उन्हें सीधे अपलोड करने के लिए बैंकवार छांटा जा सकता है।

24) आयोग ने अध्यक्ष महोदय के अवलोकन को भी नोट किया कि जबकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग दावों को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राज्य/मंडलीय कार्यालय स्तर पर सामना की जा रही वास्तविक कठिनाइयों के कारण उक्त मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रालय से सहयोग की मांग की।

25) आंचलिक समिति (मध्यांचल) की जानकारी में आया है कि खादी संस्थाएं स्लाइवर की ऊंची दरों के कारण केंद्रीय पूनी संयंत्रों से स्लाइवर उठाने के इच्छुक नहीं हैं । अनेक बार "संवर्द्धनात्मक गतिविधियों" के अधीन सीएसपी मॉडल पर विचार करने का अनुरोध किया गया था और केंद्रीय पूनी संयंत्रों में पदस्थ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अवस्थापना खर्च को आयोग की गैर-योजनागत निधियों के अंतर्गत दर्ज करके केंद्रीय पूनी संयंत्रों के अवस्थापना खर्चों में कमी लाई जाए, जिससे स्लाइवर की लागत में कमी आएगी और उन्हें बाजार में और अधिक अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा । इसलिए आयोग ने उपरोक्त मामले पर एक समेकित प्रस्ताव आयोग की आगामी बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

26) आयोग की जानकारी में यह लाया गया था कि वर्तमान में पीएमईजीपी इकाइयों के पुन: सत्यापन के माध्यम से विवादों के निपटान हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केंद्र, राज्य खादी और ग्रामोद्योग मंडल और बैंकों के प्रतिनिधियों की एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और यह बहुत ही मुश्किल है कि संयुक्त निरीक्षण के लिए सभी चारों सदस्य एक साथ एकत्र हो जाएं, इसलिए पुन: सत्यापन की प्रक्रिया में देरी हो रही है। इसलिए आयोग ने पुन: सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए चार के स्थान पर तीन सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें (१) बैंकों (२) खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा (३) एजेंसी के प्रतिनिधि होंगे।

27) आयोग की जानकारी में यह लाया गया है कि केंद्रीय पूनी संयंत्रों द्वारा स्लाइवर की आपूर्ति के सापेक्ष संस्थाओं द्वारा भुगतान की जाने वाली

राशि डीबीटी के माध्यम से केंद्रीय पूनी संयंत्रों को निधियों के हस्तांतरण के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केंद्रीय कार्यालय स्तर पर संस्थाओं की एमडीए की बकाया राशि से काट ली जाती है, लेकिन इस प्रकार से की गई कटौती की जानकारी प्राय: फील्ड ऑफिस में नहीं पहुंचती है, जिस कारण दौहरी कटौती हो जाती है। आयोग ने संयुक्त सचिव के "रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर्मेट" में बदलाव के लिए अवलोकन को नोट किया, जिससे संबंधित शीर्षक के अंतर्गत संस्थाओं से वसूल की गई राशि की स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी । वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सलाह दी कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है, जो केंद्रीय कार्यालय स्तर पर की गई शीर्षवार कटौती की राशि को फील्ड ऑफिस के लिए एक "व्यू विंडो' प्रदान करेगा।

28) आयोग ने आंचलिक समिति मध्यांचल की सिफारिशों को नोट किया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रत्येक राज्य मंडलीय कार्यालयों को कम से कम 2 गांव को "खादी ग्राम" में बदलने के लिए गोद लेना चाहिए और सभी राज्य और मंडलीय कार्यालयों को इसका अनुपालन करने के लिए निर्देश देने और प्रगति की जानकारी आंचलिक समिति को देने का निर्देश दिया।

29) आयोग ने कतीनों और बुनकरों के हित में केआरडीपी कार्यक्रम के अधीन नयी खादी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने पर भी सहमति प्रदान की।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 636वीं बैठक के निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

आयोग ने कार्यसूची मद सं. 6.2 पर संयुक्त सचिव के अवलोकन को नोट किया कि पीएमईजीपी का संशोधित (बी.ई) लक्ष्यांक कार्यवृत में उल्लिखित 1100 करोड़ रुपये के स्थान पर 1500 करोड़ रुपये था। अब संशोधित कार्यवृत निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-

1) आयोग ने सामाजिक वर्गों अर्थात अनुसूचित जाति / जनजाति के संबंध में संशोधित(बी.ई) लक्ष्यांक / कार्य योजना को वर्ष 2016-17 हेतु राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आवंटित "समग्र मार्जिन मनी" लक्ष्यांक 1500.00 करोड़ रुपए नोट किया।

2) आयोग ने कार्यसूची मद सं. 6.10 ,क्रम सं.6 पर संयुक्त सचिव के अवलोकन को नोट किया कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को स्व: वित्तपोषण प्रणाली के आधार पर चलाया जाए , मंत्रालय ने पहाड़ी, सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में खादी संस्थाओं द्वारा केआरडीपी कार्यक्रम चलाने हेतु शर्त में पहले ही ढील दे दी है।

3) आयोग ने संयुक्त सचिव, एमएसएमई के अवलोकन को नोट किया कि केआरडीपी कार्यक्रम हेतु खादी संस्था को कम से कम तीन साल के कार्यात्मक अनुभव के लिए निर्धारित पात्रता शर्त को पहाड़ी, सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों की संस्थाओं के संबंध में मंत्रालय द्वारा आंतरिक व्यवस्था के रूप में ढील दी जा सकती है एवं उक्त को केआरडीपी दिशा-निर्देशों में संशोधन के लिए भेजे जाने की जरूरत नहीं है।

4) आयोग ने "कॉल सेंटर" शुरू करने संबंधी कार्यसूची मद सं.6.12 पर संयुक्त सचिव, एमएसएमई के अवलोकन को नोट किया कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए इस तरह के प्रस्ताव विस्तृत विवरण सहित एवं संबद्ध मामलों के साथ होने चाहिए और प्रस्तावों पर मंत्रालय द्वारा आसानी से विचार किए जाने के लिए इसमें सभी मुद्दे जैसे कि लागत देयता, निधियों के स्त्रोत, कार्य निष्पादन संकेतकों, नियंत्रण और संतुलन आदि सहित सभी मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए ।

5) आयोग ने संयुक्त सचिव के इस अवलोकन को नोट किया कि कि कॉल सेंटर की सेवाओं का उपयोग पीएमईजीपी इकाइयों की स्थिति का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विपणन से संबंधित सभी मुद्दों पर ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर के लिए भी उक्त सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

6) आयोग ने अध्यक्ष महोदय के इस अवलोकन पर भी सहमति व्यक्त की कि यह पहली /नई परियोजना है, इसलिए "कॉल सेंटर" के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने से पहले, संयुक्त सचिव के प्रस्तावानुसार इस योजना की सफलता की फीड बैक प्रणाली के माध्यम से तीन महीने के बाद समीक्षा की जाएगी।

7) संयुक्त सचिव के अवलोकनानुसार आयोग ने इस संबंध में एक व्यापक प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ भेजने का निर्णय लिया।

8) आयोग ने नई खादी संस्थाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से खादी प्रमाण पत्र देने के संबंध में कार्यसूची मद सं.7.3 पर संयुक्त सचिव के अवलोकन को नोट किया, जिसके लिए संयुक्त सचिव ने कहा कि फ़र्म एवं पंजीकृत कंपनियों हेतु 50.00 करोड़ रुपये की टर्न ओवर सीमा पर निर्यात उन्मुख कंपनियों के लिए 100% छूट दी जा सकती है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा एक माह बाद की जाएगी, जिसके बाद इस मामले पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

9) आयोग ने फ्रंट फी की असमानता को नोट किया, जहां फर्म एवं पंजीकृत कंपनियों को खादी मार्क सुविधा का लाभ लेने के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में 5.00 लाख रुपये फ्रंट फी के रूप में देना होता है, जबकि यदि उक्त फर्म एवं पंजीकृत कंपनियां नयी खादी संस्थाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से पंजीकरण कराती हैं तो उन्हें केवल 10,000.00 रुपये ही देने होते हैं।

10) इस संबंध में आयोग ने खादी मार्क विनियम के अंतर्गत नई इकाइयों बनाम मौजूदा पुरानी इकाइयों से शुल्क लेने संबंधी मुद्दे पर चर्चा की थी और यह निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर एक विस्तृत नोट आयोग की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा।

11) आयोग ने सीबीसी और सीबीसी पूर्व ऋण की माफी के मुद्दे पर संयुक्त सचिव के अवलोकन पर ध्यान दिया कि कपड़ा मंत्रालय ने बुनकरों आदि के दीर्घकालिक बकाया ऋण को माफ कर दिया है और इस कार्य के एक हिस्से के रूप में कपड़ा मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया था कि माफी न केवल कपड़ा मंत्रालय के हितधारकों के लिए था,बल्कि इसमें सभी खादी कत्तीन और बुनकर भी शामिल थे। अतः संयुक्त सचिव ने खादी कत्तीनों और बुनकरों के ऋण माफ करने संबंधी अनुरोध को एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से कपड़ा मंत्रालय को भेजने हेतु केवीआईसी से एक कार्य योजना बनाने का सुझाव दिया ।

12) 'आदर्श ग्राम' के दिशा-निर्देशों के संबंध में संयुक्त सचिव, एमएसएमई ने सूचित किया कि "आदर्श ग्राम" हेतु दिशा निर्देश तैयार करने के लिए विशिष्ट समय सीमा होनी चाहिए। इस संबंध में यह सूचित किया गया था कि "आदर्श ग्राम" परियोजना हेतु दिशा निर्देश तैयार करने के लिए दो महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है।

13) आदर्श ग्राम परियोजना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रावधान के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विशेषज्ञ सदस्य (आरडी) का विचार था है कि आदर्श ग्राम परियोजना स्थापित करने हेतु विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार करने होंगे, जिसमें गांव की जनसंख्या की स्थिति, कौशल हस्तक्षेप, प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जैसे कि बायो गैस प्लांट, सौर प्रकाश, ग्रामोद्योग, कताई एवं बुनाई सुविधाएं और अन्य सामाजिक मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, बीमा, चिकित्सा सुविधा, पेयजल, मौसम अनुकूल सड़कें, परिवहन आदि की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए । यह कार्यक्रम नाबार्ड सहित राज्य और केंद्र सरकार के विभागों की वर्तमान योजनाओं के साथ अभिसरण कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानजनक जीवन यापन प्रदान करेगा ।

14) आयोग ने इस परियोजना हेतु विशेष बजट प्रस्ताव तैयार करने एवं वित्तीय सहायता हेतु सरकार से अनुरोध करने का भी निर्णय लिया।

प्रत्येक वर्ष के भांति परंपरा का अनुसरण करते हुए आयोग की सांस्कृतिक समिति ने आयोग मुख्यालय में श्री सत्यनारायण महापूजा का आयोजन किया, कार्यक्रम के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यालय के कर्मचारियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती उषा सुरेश ने सभी कार्यक्रम विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां...........